

कार्यवृत्त

[संक्षिप्त कार्य-विवरण]

मंगलवार, 17 माघ, शक संवत् 1945

(06 फरवरी, 2024 ई०)

खण्ड-525

अंक-04

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

आज के तारांकित प्रश्न सं०-2 के अनुपूरक के मध्य श्री स्वामी ओ०मवेश ने कहा कि उन्होंने भगवान श्रीराम लला की प्रतिमा की स्थापना के लिए सदन में प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में हाथ उठाया था, जबकि उन्हें विरोध में दिखाया जा रहा है, उन्होंने ऐसी किसी भी बात को कार्यवाही से निकालने का अनुरोध किया। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि ठीक है।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को अवगत कराया कि आज हमारे बीच में नेपाली पार्लियामेन्ट्री कमेटी ऑन इण्टरनेशनल रिलेशन्स एण्ड टूरिज्म श्री राज किशोर यादव जी के नेतृत्व में आई है, जो गवर्नर गैलरी में उपस्थित हैं। पूरा सदन आप सबका स्वागत और अभिनन्दन करता है।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद जीरो आवर के विषय लेने थे, लेकिन आगन्तुक कमेटी के सदस्यों के साथ मीटिंग के दृष्टिगत अभिभाषण पर चर्चा आरम्भ की जा रही है।

डा० नीरज बोरा द्वारा दिनांक 05-02-2024 को निम्नलिखित प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा) के भाषण से आरम्भ हुई :-

“यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 02 फरवरी, 2024 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।”

ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा) के भाषण के मध्य 12 बजकर 24 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवि शर्मा पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री संजीव अग्रवाल,

श्री राम फेरन पाण्डेय,

श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू,

श्री शाहिद मंजूर,

श्री रमेश चन्द्र मिश्र के भाषण के मध्य अपराह्न 01 बजकर 13 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री मुकेश चौधरी,

श्री महेश त्रिवेदी,

तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने श्री भूपेश चौबे, सदस्य विधान सभा को उनके जन्म दिन के अवसर पर सदन की ओर से बधाई दी।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि हमारे सभी दलीय नेताओं की उपस्थिति में मा0 मुख्य मंत्री जी से यह अनुरोध किया गया था कि हम सभी सदस्यों को अयोध्या दर्शन के लिए ले जाया जाए, जिसके दृष्टिगत मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर दिनांक 11 फरवरी, 2024 को अयोध्या दर्शन हेतु मा0 सदस्यगण को आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक सदस्य प्रातः 08:00 बजे तक विधान सभा परिसर पहुँच जाएं। सब लोग साथ में चलेंगे, इसके लिए बसों की व्यवस्था की गयी है। श्री महेश त्रिवेदी की जिज्ञासा पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि यदि कोई स्प्राउस को लाना चाहता है, तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी सहयोगी को ले जाने की अनुमति नहीं है। आमंत्रण-पत्र सभी के पास पहुँच जाएगा।

आज दिनांक 06 फरवरी, 2024 को नियम-301 के अन्तर्गत 60 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं :-

क्र०-सं०	नाम	विषय
1	श्री राकेश कुमार गोस्वामी	जनपद महोबा में अर्जुन सहायक बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीण इलाकों के किसानों को मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में।
2	डॉ० पल्लवी पटेल	जनपद गाजीपुर के समाज कल्याण अधिकारी के स्थानान्तरण एवं कठोर कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
3	श्री रवि शर्मा	झांसी नगर के शहरी क्षेत्र में शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में।
4	हाजी नारिस कुरैशी	जनपद मुरादाबाद के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मोहल्ला नियारियान में नाले के निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री माता प्रसाद पाण्डेय	जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील इटवा में भू-माफियाओं द्वारा किए जा रहे फर्जीवाड़ा के सम्बन्ध में।
6	श्री कविन्द्र चौधरी	जनपद बस्ती के हर्ैया तहसील को विभाजित कर के गौर को नई तहसील बनाए जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री मो० हसन रूमी	उत्तर प्रदेश के नागरिक सुरक्षा विभाग में आधुनिक और मूलभूत सुविधा देने के लिए नए नियम बनाए जाने के सम्बन्ध में।
8	श्री प्रभु नारायण सिंह यादव	जनपद चन्दौली के अन्तर्गत धरहरा से अमावल सम्पर्क मार्क के निर्माण के सम्बन्ध में।
9	श्री जियाउद्दीन रिजवी	जनपद बलिया के सिकन्दरपुर में चकबन्दी प्रक्रिया में हो रही लापरवाही के सम्बन्ध में।
10	डॉ० अमित सिंह चौहान	जनपद अयोध्या के विकास खण्ड में कतिपय मार्ग के उच्चीकरण के सम्बन्ध में।
11	श्रीमती मंजू शिवाच	जनपद गाज़ियाबाद के मोदीनगर में कतिपय भवनों के नव निर्माण के सम्बन्ध में।
12	श्री देवेन्द्र कुमार निम	जनपद सहारनपुर में जिला पूर्ति अधिकारी की जांच कराए जाने के सम्बन्ध में।
13	श्री राम चन्द्र यादव	जनपद अयोध्या के रुदौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण के सम्बन्ध में।
14	श्री पल्लूराम	जनपद बलरामपुर के सदर में डायट के संचालन के सम्बन्ध में।

क्र०-सं०	नाम	विषय
15	श्री रमेश जायसवाल	जनपद चन्दौली के मुगलसराय के अन्तर्गत बावरी में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में।
16	श्री बाबूलाल	जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में एक राजकीय महिला डिग्री कालेज की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में।
17	श्री मुकेश चौधरी	जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के अन्तर्गत बूढ़ी यमुना नदी की शिल्ट सफाई कराए जाने के सम्बन्ध में।
18	श्री पंकज कुमार मलिक	जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत चोरी के सम्बन्ध में।
19	श्री अनिल सिंह	जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत हिलीली-करदहा मुख्य मार्ग से लोहरमऊ होते हुए बाबा कंजेशवर धाम, सई नदी सेतु तक मार्ग का नव निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में।
20	श्री बन्वा लाल	जनपद उन्नाव के सफीपुर में कतिपय शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में।
21	श्री अमरेश कुमार	जनपद लखनऊ के अन्तर्गत आईआईएम रोड तिराहे से सेवा अस्पताल तक अवैध कब्जे को गिराए जाने के सम्बन्ध में।

आज नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त 02 सूचनाएं जो श्री अभय सिंह एवं श्री मनोज कुमार पाण्डेय की हैं, जो अग्रस्थ हुईं।

सभापति, पंचायती राज समिति ने उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का बीसवां प्रतिवेदन, जो सिद्धार्थनगर तथा गोण्डा जनपदों की जिला पंचायतों, ग्राम पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायतों में हुई अनियमितताओं की शिकायतों से सम्बन्धित जांच आख्या पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, पंचायती राज समिति ने उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का इक्कीसवां प्रतिवेदन, जो बस्ती, हरदोई, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा देवरिया जनपदों की जिला पंचायतों, ग्राम पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायतों में हुई अनियमितताओं की शिकायतों से सम्बन्धित जांच आख्या पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, पंचायती राज समिति ने उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का बाइसवां प्रतिवेदन, जो सिद्धार्थनगर, बस्ती तथा मेरठ जनपदों की जिला पंचायतों, ग्राम पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायतों में हुई अनियमितताओं की शिकायतों से सम्बन्धित जांच आख्या पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, पंचायती राज समिति ने उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का तेइसवां प्रतिवेदन, जो उन्नाव, सिद्धार्थनगर, बस्ती तथा सीतापुर जनपदों की जिला पंचायतों, ग्राम पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायतों में हुई अनियमितताओं की शिकायतों से सम्बन्धित जांच आख्या पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, पंचायती राज समिति ने उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का चौबीसवां प्रतिवेदन, जो सीतापुर, फिरोजाबाद, एटा तथा इटावा जनपदों की जिला पंचायतों, ग्राम पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायतों में हुई अनियमितताओं की शिकायतों से सम्बन्धित जांच आख्या पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य याचिका समिति ने उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की "याचिका समिति" (2022-23) का 13वां प्रतिवेदन जो प्राविधिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग से संबंधित है, प्रस्तुत किया।

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य याचिका समिति ने उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की "याचिका समिति" (2022-23) का 14वां प्रतिवेदन जो नगर विकास विभाग से संबंधित है, प्रस्तुत किया।

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य याचिका समिति ने उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की "याचिका समिति" (2022-23) का 15वां प्रतिवेदन जो लोक निर्माण विभाग से संबंधित है, प्रस्तुत किया।

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य याचिका समिति ने उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की "याचिका समिति" (2022-23) का 16वां प्रतिवेदन जो पंचायती राज विभाग से संबंधित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, प्राक्कलन समिति ने उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2022-2023) का प्रथम प्रतिवेदन, जो परिवहन विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2019-2020, 2020-2021 तथा 2021-2022 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत किया।

सभापति, प्राक्कलन समिति ने उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2022-2023) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2019-2020, 2020-2021 तथा 2021-2022 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत किया।

सभापति, प्राक्कलन समिति ने उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2022-2023) का तृतीय प्रतिवेदन, जो कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2019-2020, 2020-2021 तथा 2021-2022 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मानी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मानी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित किया।

आज नियम-56 के अन्तर्गत 08 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जो कार्य-स्थगन के रूप में अग्रहण हुईं।

प्रदेश में आवारा पशुओं से हुए जान माल की क्षति की जाँच कराये जाने विषयक श्री मनोज कुमार पाण्डेय व अन्य की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्रहणता पर श्री मनोज कुमार पाण्डेय ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश की 62 फ्रीसदी से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। भरपूर लागत व मेहनत से तैयार किसान की फसल को झुण्ड के झुण्ड छुट्टा जानवर नष्ट कर रहे हैं, जिससे अन्नदाता दुःखी है। ये छुट्टा जानवर दुर्घटनाओं और झगड़ों का शक बन रहे हैं। इस समस्या के समाधान के निमित्त सरकार द्वारा गौशालाओं के निर्माण के लिए बजटीय प्राविधान भी किया गया है। लेकिन गौशालाओं में संरक्षित गौमाता संकट में हैं। उन्होंने सर्वे कराकर नष्ट हुई किसान की फसल का मुआवजा दिलाने हेतु पीठ से अनुरोध किया। इंजी० बृजेश कटेरिया व श्री पंकज कुमार मलिक ने भी इस पर बल दिया।

इस पर पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह) ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि आवारा और छुट्टा पशुओं में बल राशित गौवंश है। गायों को पशुपालक दूध देने के बाद छोड़ देते हैं। निराश्रित गौवंश के लिए सरकार चिंतित है, इसके लिए ढाई महीने का अभियान चला कर 2 लाख 61 हजार निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में भेजने का काम किया है। हमारा प्रयास है कि निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर, शहर, गांव की गलियों में दिखायी न दें, इसके लिए 06 विभागों को उत्तरदायी बनाया गया है तथा अन्य उपाय भी किये जा रहे हैं।

इस पर शासन द्वारा गलत उत्तर देने व उदासीन होने की बात कहते हुए श्री मनोज कुमार पाण्डेय अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गए।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

के0जी0एम0यू0 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सा विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती में किये जा रहे आरक्षण नियमों के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री लालजी वर्मा की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर उन्होंने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी के लिए विज्ञापन बिना रिजर्वेशन के निकाला गया। दोनों संस्थाओं में बार-बार नियमावली का उल्लंघन करने का काम किया जा रहा है। मा0 मंत्री जी के जांच के आदेश देने के बावजूद भी भर्ती की प्रक्रिया रोकी नहीं गयी है। तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इसे रोका था लेकिन उसके बाद पदों को भरने के समय उसका अनुपालन नहीं किया गया। उन्होंने विषय को अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का बताते हुए सदन की शेष कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग की। डा0 रागिनी ने भी इस पर बल दिया।

इस पर उप मुख्य मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक) ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि संविधान के तहत सभी आरक्षण नियमों को मानने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। किसी भी स्थिति में उनका उल्लंघन नहीं होगा। मा0 सदस्य ने जो प्रकरण उठाया है, उसकी जांच के लिए कमेटी बना दी है, सच्चाई सामने आयेगी।

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा श्री लाल जी वर्मा की टिप्पणी का विरोध करने पर विरोध स्वरूप समाजवादी पार्टी के कतिपय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

तदुपरान्त श्री इकबाल महमूद ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि अयोध्या दर्शन के लिए सभी मा0 सदस्यों को आमंत्रित किया जाना स्वागत योग्य है। उनके द्वारा सामाजिक सद्भाव के लिए मंदिर दर्शन के साथ मस्जिद हेतु आवंटित भूमि के भ्रमण का कार्यक्रम सम्मिलित करने का अनुरोध करने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि जब मस्जिद बन जाएगी, तब उसके लिए प्रस्ताव रखेंगे।

कामनवेल्थ पार्लियामेन्ट्री एसोसिएशन (सी0पी0ए0) उ0प्र0 ब्रान्च के कार्यकारिणी समिति को गठित करने सम्बन्धी औचित्य के प्रश्न की सूचना पर श्री मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा कि विगत 7 वर्षों से सी0पी0ए0 की कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है। मा0 पूर्व अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग सी0पी0ए0 की बैठक में गये थे। इस नियमावली के अन्तर्गत कार्यकारिणी के सदस्यों को कई विशेषाधिकार मिले हुए हैं और इसकी सदस्यता हेतु वार्षिक चन्दे का भी प्राविधान है। सी0पी0ए0 के अध्ययन-भ्रमण हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष एक निश्चित धनराशि का बजट भी प्राविधानित है, जो कि प्रयोग न किये जाने से व्यपगत हो जाता है। वर्ष 2012 से 2016 के मध्य तत्कालीन मा0 अध्यक्ष के नेतृत्व में सी0पी0ए0 उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधि मण्डल विदेश के अध्ययन पर भी गया था, जिससे अन्य देशों और अन्य राज्यों के बीच विचारों

नवाचारों का आदान-प्रदान भी हुआ। उन्होंने सी0पी0ए0 उत्तर प्रदेश ब्रांच की कार्यकारिणी समिति को अविलम्ब गठित करते हुए इसके एक सर्वदलीय अध्ययन दल को विभिन्न देशों व प्रदेशों के संसदीय शोध तथा अध्ययन हेतु कार्यक्रम तैयार करवाने का पीठ से अनुरोध किया।

इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि उसको देखकर करवा दिया जाएगा। यह नियम-300 में नहीं आता है, अतएव अग्राह्य किया जाता है।

तदुपरान्त अभिभाषण पर चर्चा हेतु श्री अध्यक्ष ने मा0 सदस्यों के लिए 07-07 मिनट का समय निर्धारित किया।

मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर जारी चर्चा डा0 आर0 के0 वर्मा के भाषण से प्रारम्भ हुई।

डा0 आर0 के0 वर्मा के भाषण के मध्य सायं 02 बजकर 24 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 मंजू शिवाच पीठासीन हुईं।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

- श्री स्वामी ओउमवेश,
- श्री श्रीराम चौहान,
- श्री चन्द्रपाल सिंह,
- श्री राजेश त्रिपाठी,
- श्री पंकज पटेल,
- डा0 पल्लवी पटेल,
- श्री श्यामधनी राही,
- श्री दीपक कुमार मिश्र 'शाका',
- श्री आशुतोष शुक्ल,
- इंजी0 वृजेश कठेरिया,
- श्रीमती पिकी सिंह,
- श्री अनिल पाराशर,

श्रीमती केतकी सिंह द्वारा अपने भाषण में रामभक्तों पर गोलियाँ चलवाने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री पर की गयी टिप्पणी पर श्री अतुल प्रधान ने आपत्ति व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के सदस्यों सहित सदन के वेल में आकर अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गयी।

इस पर श्री अधिष्ठाता ने आपत्ति जनक शब्द को कार्यवाही से निकलवाने का आश्वासन देते हुए सदन के वेल में आए हुए सदस्यों से अपने आसन पर वापस जाने का अनुरोध किया, किन्तु वेल में आए हुए सदस्य लगातार विरोध करते रहे।

इसी मध्य अपराह्न 04 बजकर 09 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

श्री अध्यक्ष द्वारा सदन के वेल में उपस्थिति सदस्यों से अपने आसन पर जा कर अपनी बात कहने का अनुरोध करने पर सभी सदस्य अपने आसन पर वापस चले गये।

इस सम्बन्ध में डा0 संग्राम यादव ने कहा कि मा0 नेताजी की योग्यता को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की है। पूरा देश उनका सम्मान करता है। मा0 सदस्या को उन पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए मा0 सदस्य माफी मांगे और आपत्ति-जनक शब्द को कार्यवाही से निकलवा दिया जाए। श्री अनुल प्रधान, श्री दुर्गा प्रसाद यादव और श्री लालजी वर्मा ने भी इस पर बल दिया।

इस पर श्रीमती केतकी सिंह ने कहा कि वह आदरणीय नेता जी का सम्मान करती है, ऐसी कोई टिप्पणी उन्होंने नहीं की है, बल्कि प्रतिपक्ष के सदस्यों ने उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया।

इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि वह कार्यवाही देखेंगे। अगर मा0 सदस्या ने कहा होगा तो उसके लिए वह माफी भी मांगेगी, लेकिन प्रतिपक्ष की तरफ से अगर किसी भी सदस्य ने किसी महिला को लेकर कुछ आपत्तिजनक कहा है, तो उसको भी माफी मांगनी पड़ेगी। तब तक के लिए व्यवस्था सुरक्षित रखी जाती है।

तदुपरान्त अभिभाषण पर जारी चर्चा पुनः श्रीमती केतकी सिंह के भाषण प्रारम्भ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री मनोज कुमार पारस,

श्री राकेश प्रताप सिंह,

श्री रमेश जायसवाल के भाषण के मध्य अपराह्न 04 बजकर 49 मिनट पर अधिष्ठाता

श्री इन्द्रजीत सरोज पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री प्रभात कुमार वर्मा,

श्री दुधराम,

डा0 आर0 के0 पटेल,

श्री माता प्रसाद पाण्डेय,

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव,
 श्रीमती सैय्यदा खातून,
 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह,
 डा० डी० सी० वर्मा,
 श्री प्रदीप कुमार सिंह,
 श्री संग्राम सिंह,
 श्री राम अचल राजभर,
 श्री महेन्द्र नाथ यादव,
 श्री विनोद शंकर अवस्थी,
 श्री कैलाश राजपूत,
 श्री सभाकुंवर,
 श्री बेदी,

श्रीमती इन्द्राणी देवी के भाषण के मध्य सायं 06 बजकर 34 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

तदुपरान्त आज सदन में हुए व्यवधान के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष ने कहा कि यह सदन गरिमामयी है, एक-दूसरे का सम्मान करना हमारा स्वभाव है। हम अपनी नीतियों, अपनी विचारधारा के अनुसार अपनी बात कहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सबको समझना पड़ेगा कि विधान सभा के अन्दर का वक्तव्य राजनीतिक मंचों के वक्तव्य से अलग है, इसलिए संयम और संतोष के साथ हम सब लोगों को अपना वक्तव्य देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष श्री यह भी कहा कि उन्होंने कार्यवाही देखा और सदस्या श्रीमती केतकी सिंह जी और प्रतिपक्ष के वरिष्ठ नेताओं से इस पर चर्चा की। विधान सभा में इस प्रकार का व्यवधान आपस में कटुता फैलाता है, वह उचित नहीं है। विगत 2 वर्षों के अन्तर्गत जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की विधान सभा का एक मैसेज पूरे देश और दुनिया में गया है, उसके लिए इस विधान सभा के सारे 403 सदस्य साधुवाद के पात्र हैं।

इस पर श्री अध्यक्ष की अनुमति से श्रीमती केतकी सिंह ने कहा कि स्वर्गीय नेता जी के प्रति हम सभी का सम्मान और आदरभाव रहता है और जैसा कि पहले ही कहा था कि मेरे संस्कार में नहीं है कि मैं इस प्रकार की टिप्पणी करूं। उन्होंने कहा कि उनके किसी भी शब्द से किसी मा० सदस्य को अगर ठेस पहुंची हो तो उसके लिए वह खेद व्यक्त करती हैं।

इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि मा० सदस्या द्वारा कही गयी टिप्पणी पर उन्होंने खेद व्यक्त किया है। उसको कार्यवाही से निकलवा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि

प्रमुख सचिव नोट करें कि सभी मीडिया में इस बात का संदेश भेज दिया जाए कि चूंकि उस शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया गया है, इसलिए कोई भी अखबार उसको नहीं छापेगा।

मा० सदस्या द्वारा अपने प्रति की गयी टिप्पणी की बात कहने पर श्री अध्यक्ष की अनुमति से श्री अतुल प्रधान ने कहा कि अगर हमारी तरफ से कोई ऐसी बात बोली गयी, जिससे मा० सदस्या को कोई आघात पहुंचा हो, तो वह उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं।

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के अन्तर्गत ग्राम नगला कुण्ड में जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डा० आर० के० वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के सोरांव तहसील में ग्राम सकरामऊ व ग्राम अब्दालपुर खास में मिनी खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य किये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्य प्रकाश पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डा० रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र में वि०ख० मडियांहू के ग्राम अरूआवां-पहसना सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामजी यादव निवासी जनपद जौनपुर की याचिका की हुई मानी गई।

डा० शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र देवरिया सदर क्षेत्रान्तर्गत देवरिया-भीखमपुर मार्ग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संग्राम जीत सिंह सैथवार व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ० अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल में स्थित सिंचाई विभाग द्वारा 15 वर्ष पूर्व निर्मित चांदपुर रजवहा की पटरी की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ० पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में की जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू के अन्तर्गत ग्राम खोजवापुर, रेजमा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप कुमार दिवाकर व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ० मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में पालीवाल कालेज चौराहा से ग्राम जसलई रोड तक सड़क मार्ग

का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनमोल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ० वीरेन्द्र यादव, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के विकास खण्ड विसो के अन्तर्गत पारा सम्पर्क मार्ग से ग्राम अरखपुर होते हुए ग्राम सभा भिखनापुर तक सीसी मार्ग (2 किमी०) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण कुमार विंद व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित व्यपगत हुई।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जल्लापुर में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री जगपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड बड़पुर के अन्तर्गत हैवतपुर गढ़िया में हौदन की पुलिया से पणू के खेत तक 1500 मी० के नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री निरोत्तम राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रवि शर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद झाँसी महानगर के वार्ड-13 कोषाभांवर पैरामेडिकल के पास विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद झाँसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अखिलेश, सदस्य विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में सोनावर अनुसूचित बस्ती से मंझरिया होते हुए सलारपुर तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूवेदार व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अजय सिंह, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज के अन्तर्गत ग्राम पूरे अजब (मजरा कोनिया) में श्रीकान्त के घर से होते हुए पंचायत भवन तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगन्नाथ सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य विधान सभा की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरथना के अन्तर्गत ग्राम दान्दुपुर से बड़ा गाँव तक जर्जर सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तन्को प्रधान, निवासी जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ के आवास विकास परिषद की वृन्दावन योजना के अन्तर्गत वैम्बे आवास योजना के आवास संख्या-5ई-3/116 में अवैध कब्जा कर रही श्रीमती मुन्नी देवी से आवास खाली कराने एवं श्री सुनील द्वारा दिये जा

रहे अवैध संरक्षण पर उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रेखा वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अनिल कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के गाँव शेरपुर नगला से रामनगर तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटे प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य विधान सभा की जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत घुरेटनपुर में पशु चिकित्सालय को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अभय सिंह, सदस्य विधान सभा की अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्धकों द्वारा अनियमित तरीके से नियुक्त एवं उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, १९८२ की धारा-३३४ की उपधारा-(८) के प्रावधानों के विपरीत विनियमित किये गये तदर्थ शिक्षकों के अनियमित वेतन भुगतान के सम्बन्ध में श्री शशिकान्त पाण्डेय, निवासी जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अशरफ अली खान, सदस्य विधान सभा की जनपद शामली की विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम पेलखा में प्राइमरी स्कूल से जाने वाली सड़क बाईपास तक लगभग ७०० मीटर कच्चे मार्ग पर खड़न्जा कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बर चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अशोक कुमार, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रायबरेली के ग्राम परैया नमकसार में रामबरन गोसाई के दरवाजे से कछ्याहन से पुरवा तक के मार्ग पर इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अगम चन्द्र मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका व्यपगत हुई।

श्री आशीष कुमार सिंह "आशु", सदस्य विधान सभा की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम-मल्लावां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी श्रीमती श्यामा को लोकतंत्र सेनानी पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवप्रकाश राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री उमर अली खान, सदस्य विधान सभा की जनपद सहारनपुर में ग्राम छज्जा, धौलरा व अन्य ग्रामों में बरसाती नदियों द्वारा कटाव को रोके जाने के सम्बन्ध में श्री फास्क व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री ओम प्रकाश, सदस्य विधान सभा की जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत सायर से महावीर स्थान बक्सर बिहार पीपा पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य विधान सभा की जनपद बस्ती की तहसील हरैया के ब्लाक गीर के चेर्इया मोड़ से समय माता मन्दिर तक मार्ग (1 किमी0) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज यादव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री गौरी शंकर वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई नगर के अन्तर्गत बधीरी शिव मन्दिर से लेकर गावत्री राठीर आंगनवाड़ी केन्द्र तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवम गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री चन्दन चौहान, सदस्य विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र 16-मीरापुर के ग्राम अहमदवाला से देवल तक मार्ग का चौड़ीकरण/विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवजीत पाल व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बाबूलाल, सदस्य विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लाक अछनेरा के अन्तर्गत ग्राम अमैदोपुरा से ग्राम नगला यादराम तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धूरेलाल आर्य व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य विधान सभा की जनपद झांसी के मोठ ब्लाक के लोहागढ़ से सेरसा तक जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण/मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालता पंचाल व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जैकिशन साहू, सदस्य विधान सभा की जनपद गाजीपुर की सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम धर्मपुर, नन्द मुख्य रोड उधरनपुर ग्राम जमिया, गीटिया मदरसा होते हुये यादव बस्ती तक 600 मी0 सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री खुशीद अहमद व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद महाराजगंज की विधान सभा क्षेत्र पनियरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनियरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम लखन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री तसलीम अहमद, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के बी0एन0एन0 के किमी0 35 से जालपुर, दहीरपुर कांशीरामपुर

कोटावाली मार्ग पर विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राशिद अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के ग्राम माडरमउ अलीचक में गंगा प्रसाद यादव के घर से मोहम्मद सादिक खान के खेत तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य विधान सभा की जनपद सहारनपुर के ब्लॉक-बलियाखेड़ी के ग्राम बेहड़ेकी में हिंडन नदी पर रपटा बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अंशुल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के गांव लुधपुर से नगला उग्रसेन तक 1 किमी0 मार्ग कर नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तारा प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री पूरन प्रकाश, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में नपद मथुरा के फरह ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ओल में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष बस स्टैंड व महिला/पुरुष प्रसाधन, प्रतीक्षा कक्ष आदि का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम फतेहगढ़ी में ललित शर्मा के घर से धर्मवीर ठाकुर के घर तक लगभग 80 मी0 मार्ग कर निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र 79-सादाबाद के सादाबाद राजवाहे की पटरी पर आगरा हाई-वे शहीद स्मारक गेट से ग्राम पंचायत वेदई तक डामरीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मवीर सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रदीप शुक्ला, सदस्य विधान सभा की जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड खजनी में नगवां से नन्दापार छताही होते हुये खजनी तक नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मराज गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद शामली के विकास खण्ड कांथला के ग्राम भनेडा सैनिक ग्रेड गेट से कस्बा एलम तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव पंवार व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बन्धा लाल, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफ़ीपुर के अन्तर्गत ग्राम औरास व अन्य ग्रामों में बने अस्पतालों का नवीनीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्दा मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका व्यपगत हुई।

श्री बेचई सरोज, सदस्य विधान सभा जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज के ग्राम सरायमोहन में स्व० बुधिराम सरोज के घर से ग्राम सभा तम्पुर में श्री गुल्लू सरोज के घर तक कच्चे जर्जर मार्ग पर डामर रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री गुल्लू सरोज व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद महोबा विधान सभा चरखारी के अन्तर्गत राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप भटनागर व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार के अन्तर्गत विधान सभा ऊंचाहार में आधुनिक सुविधायुक्त बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष तिवारी निवासी जनपद रायबरेली की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य विधान सभा की जनपद विजनीर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के नगर पालिका क्षेत्र किरतपुर मुस्लिम इण्टर कालेज के मैदान में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में मो० साईम व अन्य निवासीगण जनपद विजनीर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अमरोहा के विकास खण्ड गजरौला के ग्राम कंकाटेर में रेलवे क्रासिंग से डा० महाबीर सिंह के घर के पास तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री डा० महाबीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित व्यपगत हुई।

श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा के मोहल्ला पंजाबियान में अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद जालौन उरई कोच नदीगांव इंटर स्टेट मार्ग के अवशेष भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मोहम्मद हसन "रुमी", सदस्य विधान सभा जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के वार्ड संख्या 105 बाबूपुरवा के अन्तर्गत भीकम सिंह पार्क में नया टयूबवेल लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री इकराम खान व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मोहम्मद फहीम इरफ़ान, सदस्य विधान सभा की जनपद मुरादाबाद के तहसील व ब्लाक बिलारी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुहम्मद इब्राहिमपुर की मतदाता सूची को संशोधित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद कासिम व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य विधान सभा की जनपद जौनपुर के बदलापुर में बाबूगंज व रामनगर में नया विद्युत सब स्टेशन का निर्माण आर0डी0एस0एस0 योजना में शामिल कर कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमर वैश्य व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य विधान सभा की जनपद चन्दौली के विकास खण्ड सदर की ग्राम सभा शाहपुरा में सुरेश यादव के मकान से मरजात पासवान के मकान तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मरजात पासवान व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राकेश कुमार गोस्वामी, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र के ग्राम नटकुर में विजनीर रोड पर नटकुर पुलिया से ग्राम चन्द्रावल तक सड़क का चौड़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरवेश कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राजपाल सिंह बालियान, सदस्य विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के ग्राम गड़ीनी आबाद में संजय पुत्र श्री शहेन्द्र के मकान से सुरेश पाल पुत्र श्री रामसिंह के चक तक शिकारपुर भौराकलां मार्ग का चौड़ीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गई।

श्री राजीव तरारा, सदस्य विधान सभा की जनपद अमरोहा के गजरीला नगर में स्थित चामुण्डा मन्दिर का सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वैभव गोयल व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य विधान सभा की जनपद बस्ती की तहसील रूथौली के परसा पालने मार्ग से परसा लाल शाही सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द चौधरी व अन्य निवासी जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड देवमई के ग्राम छोटी छिवली से बड़ी छिवली तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर, नूरपुर अमरोहा मार्ग से ग्राम पीपला जागीर में आश्रम होते हुये फतिहाबाद मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शाह आलम व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत मेडिकल कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मिथलेश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र ललितपुर नगर में बस स्टैण्ड से घुसयाना मोहल्ला होते हुये पिसनारी तिराहा राजघाट सम्पर्क मार्ग तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नितेश संज्ञा व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के ग्राम नगला गोविंदपुर से नंगा बाबा के आश्रम हिरनौटी तक काली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फरमुद्दीन व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत विकास खण्ड पसगवा के कस्बा जंगबहादुरगंज में 132 किलोवाट के बिजलीघर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री विकास गुप्ता, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फतेहपुर के ब्लाक तेलियानी के अन्तर्गत ग्राम भरहरा स्थित श्री सीताराम मन्दिर का सौन्दर्यीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहित गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हापुड़ के गांव धुंधराला में क्षतिग्रस्त मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड विलसण्डा के ग्राम बरखेड़ा घतुरहा से सूखानाथ मन्दिर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री शफीक अहमद अंसारी, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र स्वार के मस्वासी बिजली घर के सामने से खुशालपुर के मोड़ तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीप गोबल व अन्य निवासीगण जनपद रामपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रायबरेली के तहसील महाराजगंज में हैदरगढ़-महाराजगंज मार्ग कुवना पूरे लोथन नरायनपुर पक्के मार्ग तक पक्की रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आदर्श भारती, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सर्वेश सिंह, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फिरोजाबाद के ग्राम नगला धर्म में मिट्टू फौजी के मकान से ब्रह्मदेव आश्रम रेलवे क्रॉसिंग तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रजकिशोर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य विधान सभा की जनपद कानपुर के शहरी रिहायशी इलाकों से गुजरती जानलेवा कच्ची नहर (सी0टी0आई0 नहर) को जनहित में पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सुरेश पासी, सदस्य विधान सभा की जनपद अमेठी के विकास खण्ड बाजार शुक्ल के अन्तर्गत पाली उरेरमऊ सम्पर्क मार्ग से टैक्सी सम्पर्क मार्ग तक का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री स्वामी ओजूमवेश, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चौदपुर के ग्राम गदनपुरा के रोजपुर परसु को जोड़ने वाले कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के अन्तर्गत ग्राम सैदपुर से सायफन पुलिस चौकी तक लगभग 0.2 किमी० सड़क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरहिया के रामसमुझ पुरवा में घरसवां सम्पर्क मार्ग तक डामर रोड का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवनाथ व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र भिनगा के ग्राम पिपरहवा से भदरहवा ग्राम तक सड़क एवं पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत ग्राम पिल्खिन मार्ग के कहली नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अल्पना देवी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती नीलिमा कटियार, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा प्रस्तावित सीवरेज मास्टर प्लान, 2005 कानपुर शहर के अन्तर्गत जोन-2 स्थित वार्ड कल्याणपुर (उत्तरी), कल्याणपुर (दक्षिणी), आवास विकास, विनायकपुर, नानकारी आदि वार्डों की सीवरेज समस्या के निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में श्री लव सक्सेना व अन्य की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती पूजा, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेहनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा अहियाई में विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश धर्मेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र इटावा सदर के अन्तर्गत नगर क्षेत्र में स्थित डा० भीमराव जिला चिकित्सालय को सिटी हास्पिटल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामशरण गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत ग्राम सिंधौली में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर में भड़रिया डुमरियागंज मार्ग से बिधरियां घाट को जाने वाली सड़क की मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मलिक मो० असजद व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने प्रमुख सचिव, विधान सभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि जो याचिकायें आती हैं, वह याचिका समिति में जाती हैं और याचिका समिति में जाने के पश्चात् ही उस पर कोई कार्यवाही होती है लेकिन नियम यह है और परम्परा भी है कि छः महीने तक जो याचिकायें आती हैं, वह विभाग को भेजनी चाहियें और उनको पूरा कर लेना चाहियें। अगले सत्र में इस बात को देख लिया जाये कि जो छः महीने पहले तक याचिकायें प्रस्तुत हुई हैं और सम्बन्धित विभाग को भेज दी गई हैं, के सम्बन्ध में विधान सभा सचिवालय रिपोर्ट मांगेगा और देखेगा कि उसमें क्या हुआ। फिर याचिका समिति में जायेगी, क्योंकि मा० सदस्य यहां पर किसी भी प्रकार की याचिका लगाते हैं, वह पब्लिक इन्टरेस्ट की होती है। अगला सत्र जो छः महीने में पूरा होता हो उसके पहले उसकी सारी सूचनायें यहां पर आ जानी चाहियें।

आज नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 06 फरवरी, 2024 को कुल 83 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गई :-

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :-

- 1-श्री लालजी वर्मा विधान सभा जिला अम्बेडकरनगर में बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग कटेहरी बाजार मछली मण्डी से पिलखावां मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 2-श्री अतुल प्रधान विधान सभा क्षेत्र सरधना के दीराला में शुगर मिल से हो रहे प्रदूषण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 3-श्रीमती सरिता भदौरिया सम्पूर्ण नगर पालिका परिषद् इटावा क्षेत्र में जलभराव के निदान के सम्बन्ध में।
- 4-श्री बेचई सरोज विधान सभा क्षेत्र लालगंज की ग्राम सभा रबनियां में जर्जर एवं गड़ढायुक्त हो चुकी सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 5-श्री मो० फहीम इरफ़ान नियोजन विभाग के अधीन अर्थ एवं संख्या विभाग के उप निदेशक के पदों पर प्रोन्नति कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 6-श्री अनिल प्रधान जनपद चित्रकूट तथा बांदा के श्रम विभाग के अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

7-श्री पंकज कुमार मलिक चीनी मिलें गेट एवं गन्ना क्रय केन्द्रों पर घटौती के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सदस्य की सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :-

1-श्री विनोद चतुर्वेदी विधान सभा क्षेत्र कालपी जनपद जालौन के अन्तर्गत ग्राम मगरौल, तहसील-कालपी में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई :-

1-श्रीमती ऊर्षा मौर्या विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज, फतेहपुर में सातमील-डलमऊ मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

2-श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज के ग्राम सभा सिकरौर रोड से सहजना भटनी मार्ग का मरम्मत/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

3-श्री कमाल अख्तर जनपद-मुरादाबाद में राजकीय कन्या इण्टर कालेज को अल्पसंख्यक विभाग द्वारा संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में।

4-श्री नफीस अहमद वित्त वेतन आयोग के शासनादेश का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

5-श्री अमिताभ बाजपेई खतरनाक एवं परिसंकटमय पदार्थों को ढोने वाले वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने वाले संस्थान द्वारा एस0ओ0पी0 में निर्धारित मानकों को पूरा किये बना फर्जी कूट रचित अभिलेखों के आधार पर अपना नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

शेष सूचनायें अस्वीकृत हुईं।

तदुपरान्त अभिभाषण पर जारी चर्चा श्रीमती गीता शास्त्री (पासी) के भाषण से पुनः आरम्भ हुई।

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी) के भाषण के मध्य सायं 07 बजे अधिष्ठाता श्री रवि शर्मा पीठासीन हुये।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री चन्द्र प्रकाश लोधी,

श्री सुरेन्द्र चौरसिया,

श्री जवाहर लाल राजपूत,
श्री अनिल कुमार सिंह,
श्री भूपेश चौबे
श्री बेचई सरोज,
श्री जियाउद्दीन रिजवी,
श्री विनोद चतुर्वेदी,
श्री लक्ष्मी राज सिंह,
श्री राजेन्द्र कुमार,
श्री प्रवीण पटेल,
श्री कविन्द्र चौधरी।

डा0 अजय कुमार के भाषण के मध्य श्री संग्राम यादव द्वारा विधान सभा के कोरम के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर चर्चा आगे के लिये जारी हुई।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन रात्रि 08 बजकर 22 मिनट पर अगले दिन के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

स्वीकृत,

सतीश महाना,

अध्यक्ष,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।